

प्रेम,

श्री ज्योति मंगला,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

शिक्षण
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा ब्लॉक 2 तमुदाप केन्द्र
प्रति विहार नई दिल्ली ।

तारीख 171 अनुमान


संज्ञक: दिनांक: 13 अप्रैल, 1996

विषय:- श्री गुरुनानक देव शिक्षण परिषद द्वारा नानकपुरी टाण्डा में स्थापित की
गयी तमूदाप केन्द्र नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु आवरित प्रमाण पर दिये
जाने के संबंध में ।

संदर्भ,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कले का निर्देश हुआ है कि श्री गुरुनानक
देव शिक्षण परिषद द्वारा नानकपुरी टाण्डा में स्थापित की गयी तमूदाप केन्द्र नई दिल्ली
से सम्बन्धता प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के
अधीन आवरित नहीं है :-

- 1- विद्यालय की प्रशासनिक/वित्तीय/पंजीकृत होना इत्यादि का सम्यक रूप
पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 2- विद्यालय की प्रमुख समिति में शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित एक
सदस्य होगा ।
- 3- विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित
जाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश
माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा तैयार किए गए विद्यालयों में विभिन्न
वर्गों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 4- सेवा द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान को मांग नहीं की
जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से
वैसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की
सम्बन्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कोशिल कार दि ईशियन
स्कूल तर्दी/कोशिल इन्वार्मिडन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस
परीक्षा परिषदों से सम्बन्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से
मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
- 5- सेवा द्वारा यदि किसी तरह की कार्यवाही को राज्य सरकार द्वारा
किसी तैयारी के कार्यवाही को अनुसूचित जाति/अनुसूचित
जाति के कम वेतनमान तथा अन्य भर्तों नहीं दिये जायेंगे ।
- 6- कार्यवाही को सेवा नहीं बनायी जायेगी और उन्हें तदनुसार प्रत्येक
उपरोक्त उपायों के कार्यवाही को अनुसूचित जाति/अनुसूचित
जाति के निम्नलिखित नाम उपलब्ध कराये जायेंगे ।


MANAGER
Shri Guru Nanak Dev Sikh
Public School
Nanakpuri (U.S. Nagar U.K.)


Principal
Shri Guru Nanak Dev Sikh Public School
Nanakpuri Darau, U.S. Nagar (U.K.)

7- राज्य सरकार द्वारा समय समय पर बो भों आदेश निर्मित किए जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी ।

8- विद्यालय का रिजर्व निर्धारित प्रपत्र/व्यक्तियों में रखा जायेगा ।

9- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिकल्पना/संशोधन या परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध पर भी लोग कि संस्था द्वारा समयसमय पर किए जाने के पूर्व पर सुनिश्चित किया जाय कि -

1- रज विभिन्न अवधिपर्यंत आयु के उपरान्त भी कार्यरत है उसे तेवरत न रखा जाय ।

2- आगामी छः माह में विद्यालय द्वारा निर्धारित माप की विज्ञान सुयोग्यता निर्मित करा ली जाय ।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है प्रत्यक्ष तौर पर हमें किसी प्रकार की सूचना मिलित करती या रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुषंगित प्रमाण पर आपत्त में निरा जायेगा ।

भवदीय,


सुधीर गाँगा
संयुक्त सचिव ।


पत्रांक 2605111/15-7-1996 तद्विनाई


प्रतिनिधि निम्नलिखित को सुनवाई एवं आणख्य कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश नरनर ।
- 2- भवदीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, कुभाई मंडल (ननीलक) ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, (सुनौता) ।
- 4- निरीक्षक, अंग्रेज भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश, नरनर ।
- 5- प्रबन्धक, सुभानकदेव तालक पाठशाला स्कूल नानकपुरी अरुणोदय नदी ।

आप से,


Shri Guru Nanak Dev Jikh
Public School
Naranpur (U.S. Nagar U.K.)


Principal
Nanak Dev Sikh Public School
Naranpur, U.S. Nagar (U.K.)


सुधीर गाँगा
संयुक्त सचिव ।